

THE UTTAR PRADESH RESIN AND OTHER FOREST PRODUCE (REGULATION OF TRADE) ACT, 1976

[U. P. ACT NO. XIII OF 1976]

[Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on March 31, 1976 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on April 6, 1976,

Received the assent of the Governor on April 16, 1976 under Article 200 of 'the Constitution of India], and was published in the Uttar Pradesh Gazette Extraordinary dated April 19, 1976.]

AN

ACT

to provide in the interest of the general public, for the carrying on by the State of the trade of purchase and distribution of resin to the exclusion of others, and for the regulation of manufacture and preparation of various articles based on forest produce, and for matters connected therewith.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-seventh Year of the Republic of India, as follows :-

CHAPTER I

Preliminary

Short title, 1-
extent and
commencement
Pradesh.

(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976.

(2) It extends to the whole of Uttar

(3) (a) Chapters I and III shall be deemed to have come into force on October 4, 1975.

(b) Chapter II----

(i) shall be deemed to have come into force on October 4, 1975, in Almora, Naini Tal, Pithoragarh, Chamoli, Garhwal, Tehri-Garhwal, Uttarkashi, Dehra Dun, Bareilly and Saharanpur districts ; and

(ii) in the remaining areas of Uttar Pradesh, shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint in that behalf, and different dates may be appointed in relation to different such areas.

CHAPTER II

Regulation of the Trade of Resin

Definitions 2- In this Chapter, unless the context otherwise requires-

(a) "appointed day", in relation to any area, means the day on which this Chapter comes into force in that area ;

(b) "authorized officer" means an officer of the State Government authorized by it to purchase or sell resin on its behalf and to grant permits under section 5 ;

(c) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Chapter;

[The Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976] [Section 3-5]

(d) "resin" means the secretion extracted by tapping from Chir or Kail trees ;

(e) "resin depot" means a place specified as such by the Conservator of Forests for the purchase, storage or sale of resin tapped in an area specified in relation to at depot

(f) "resin products" means derivatives obtained by processing of resin, and includes resin, turpentine, hardened resin, and also includes paints and varnishes manufactured directly from resin ;

(g) "tapper of resin" 'means a person who taps resin;

(h) "unit" means a unit constituted under section 3 ;

Act 16 of 1927

(i) words and expressions used but not defined in this Chapter and defined in the Indian Forest Act, 1927, as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, shall have the meanings assigned to them in that Act.

Constitution of 3- The State Government may, by notification in the Gazette divide the State units into such numbers of units, as it may deem fit, and until varied by such notification, each forest circle (as for the time being delimited by general or special orders of the State Government) shall constitute a unit.

Restrictions on 4- On and after the appointed day-

sale, purchase
and transport

resin etc. any resin or resin product unless he is registered under and in accordance with section 10 ;

(a) no person shall tap resin or manufacture any resin product or export

(b) no person shall sell resin to any person other than the State Government or an authorized officer ;

(c) no person other than the State Government or an authorized officer shall purchase resin from any tapper of resin;

(d) no person other than the State Government or an authorized officer shall transport resin except in the following cases:-

(i) where he being a tapper of resin transports it to the resin depot specified for the area where the resin is tapped; or

(ii) where he transports it on behalf of the State Government or an authorized officer ;

(e) no person other than the State Government or an authorized officer shall transport resin products manufactured in a unit to any place outside that unit without a permit issued in that behalf by such authority, in such manner and subject to such terms and conditions as may be prescribed.

Permit for sale 5-
transport etc.

(1) Notwithstanding anything in section 4, the State Government or an authorized officer may on such terms and conditions and in such manner as may be prescribed-

(a) permit any person, who had purchased any resin before the appointed day within an area to which this Chapter applied to transport and sell such resin to any person other than State Government or an authorized officer and permit any person other than the State Government or an authorized officer to purchase and transport the same ; or

[The Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976] [Section 6-7]

(b) permit any person, who has purchased resin from the State Government or an authorized officer for manufacture of resin products to

transport the same and to sell any resin which he has been unable to utilize in the manufacture of resin products; or

(c) permit any person, who has purchased any resin outside Uttar Pradesh to bring the same inside the State either for manufacture of resin products within the State or for transporting them elsewhere outside Uttar Pradesh; or

(d) permit any person, who has purchased any resin within Uttar Pradesh outside any area to which this Chapter applies to transport it to any area to which this Chapter applies for the manufacture of resin products.

(2) A person to whom a permit is granted under sub-section (1) shall be liable to payment of such fee as may be prescribed.

Constitution of
an Advisory
Committee

6- (1) The State Government shall for each year constitute for each unit in which resin is tapped, an Advisory Committee which shall consist of not more than nine members nominated by the State Government:

Provided that one-third of such members shall be officers of the Forest Department and not more than one-third of such members shall be from amongst tapperst resin.

(2) The Advisory Committee for each such unit shall advise the State Government in the matter of fixation from time to time of a fair and reasonable price at which resin offered for sale may be purchased by or on behalf of the State Government in that unit, and also on such other matters as may be referred to it by the State Government.

(3) The business of the Committee shall be conducted in such manner as may be prescribed.

Fixation of
State
Government

7- (1) The State Government shall, having regard to following factors, fix the price by price at which resin shall be purchased by or for it in each unit during the year, namely :-

(a) the price of resin, if any, fixed under this Chapter during the preceding three years in respect of the unit

(b) the quality of the resin tapped in the unit;

(c) the cost of transport ;

(d) the general rate of wages for labour prevalent In the unit;

(e) the cost of extraction of resin

(f) the cost of packing of resin including the cost of container in which resin is delivered;

(g) any other factor which the State Government considers relevant.

(2) The price so fixed shall be published in such manner as the State Government may direct, and shall not be altered during the year to which it relates.

(3) The price so fixed shall be for net weight of resin excluding the weight of container in which resin is packed.

(4) Where an Advisory Committee has been constituted under section 6 it shall, wherever practicable, be consulted by the State Government before the fixation of price under sub-section (1)

[The Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976] [Section 8-9]

State
Government to
purchase all
resin offered

8- (1) The State Government shall be bound to purchase at the price fixed under section 7 all resin offered for sale to or for it during the normal hours of business at a resin depot:

for sale
of

Provided that it shall be open to an authorized officer to refuse purchase such resin as in his opinion is not fit for the purpose of manufacture of resin products.

(2) Any person aggrieved by the authorized officer's refusal to purchase resin under the proviso to sub-section (1), may, within fifteen days from such refusal, and in the manner prescribed complain to the Divisional Forest Officer or such other officer as may be empowered by the State Government in that behalf (hereinafter referred to as the competent officer).

(3) On receipt or a complaint under sub-section (2), the competent officer shall hold a summary inquiry and pass such order, within thirty days of the receipt of the complaint as he may deem fit, and in case he finds such refusal to be improper, he may direct the authorized officer to purchase the same.

(4) Where the competent officer finds the refusal of the resin proper but in his opinion, the resin may be purchased at a lower price, he may direct the authorized officer to purchase the same at such lower price as he deems fit.

(5) Notwithstanding anything in sub-section(1), where the State Government or an authorized officer has reason to believe that any resin offered for sale was tapped from trees standing on any land which was vested in or belonged to the State Government or which was constituted as Reserved Forest or Protected Forest or Panchayati forest, such resin may be appropriated without payment of price, and on payment only of such collection charges, if any, as the State Government or the authorized officer may determine.

(6) The provisions of sub-sections (2) to (4) shall *mutatis mutandis* apply in relation to any action taken under sub-section (5).

(7) Every order passed under this section shall be final.

Tapping of 9-

(1) If the State Government or any authorized officer finds that any Chir or trees which Kail tree standing in a unit is not being tapped, the State Government or the are not being authorised officer may by notice require the owner of such tree to commence tapped tapping of the same or to cause its tapping commenced within such time as may be prescribed.

(2) If after the service of the notice, under sub-section (1), the owner of the tree fails to comply with such notice, the State Government or, the authorized officer may, in the manner prescribed, cause the tree to be tapped for extraction of resin.

(3) All resin extracted from a tree under sub-section (2), shall be sold in accordance with the provisions Of this Chapter and the rules made thereunder and the price thereof shall, after deducting the expenses of tapping, be paid to the owner of such trees.

Explanation-- For the purposes of this section; the term 'owner' in relation to a Chir or Kail tree includes the person in possession, management or' control of such tree.

[The Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976] [Section 10-15]

Registration of 10-
tappers of
resin etc.

Every tapper of resin, every manufacture of resin product and every exporter of resin or resin products shall be entitled to registration on payment of such fee, to such authority and in such manner as may be prescribed.

Disposal of 11-

Resin purchased by the State Government shall be sold or otherwise disposed resin of in such manner as the State Government may by general or special order direct.

Delegation of 12-

The State Government may, by general or special order, delegate any of its powers powers or functions under this Chapter or the rules made thereunder to any officer

not below the rank of an Assistant Conservator of Forests who shall exercise or perform the same, subject to such conditions or restrictions, if any, as the State Government may specify in the order.

Powers of 13- (1) Any police officer not below the rank of sub-inspector or any forest-entry, search, officer may, with a view to securing compliance with the provisions of this seizure, etc Chapter or the rules made thereunder or to satisfying himself that the said provisions have been complied with--

(i) Stop and search any person, vessel, vehicle or receptacle used or intended to be used for the transport of resin or resin product;

(ii) Enter and search any place;

(iii) Seize resin or resin product in respect of which he suspects that any provision of this Chapter or the rules made thereunder has been, is being Act 2 of 1974 or is about to be contravened along with the receptacle containing or carrying such resin.

(2) The provisions of section 100 of the Code of Criminal Procedure, 1973, relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

Penalty 14- If any person contravenes any of the provisions of this Chapter or the rules made thereunder, he shall be deemed to have committed a forest offence, and the resin or resin product, if any, in respect of which such offence is committed shall in relation to the commission of such offence be deemed to be forest produce, and Act XVI of the provisions of Chapter IX of the Indian Forest Act, 1927, as amended in its 1927 application to Uttar Pradesh (excepting section 69 thereof), shall accordingly apply with necessary, modifications.

Offences by 15- (1) If the person committing an offence under this chapter is a company, the companies company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly :

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

[The Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976] [Section 16-19]

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Chapter has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of; or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of any managing agent, secretary, treasurer, director, manager, or other officer of the company, such managing agent, secretary, treasurer, director, manager or other officer of the company shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation-- for the purposes of this section -----

(a) "company" means anybody corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "Director" in relation to a firm, means a partner in the firm.

Cognizance of 16- No court shall take cognizance of any offence punishable under this Chapter offences except on a report in writing of the facts constituting such offence made by any forest officer not below the rank of a Range Officer or by such other officer as may be empowered by general or special order of the State Government in that behalf.

Provisions of 17- The provisions of this Chapter shall have effect notwithstanding anything this Chapter to inconsistent therewith contained in any other law or in any contract or other have over instrument.

effect

Savings in 18- (1) No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against any person respect of acts for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the done provisions of this Chapter or the rules made thereunder. in good faith

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government for any damage caused or likely to be caused or any injury suffered or likely to be suffered by virtue of the provisions of this Chapter or the rules made thereunder or by anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Chapter or the ruled made thereunder.

Power to make 19- (1) The State Government may, by notification in the Gazette, make rules rules for carrying out purposes of this Chapter.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:--

(a) The publication of the price list of the resin;

(b) The manner of holding inquiries under this Chapter;

(c) The authority by whom, the manner in which and the conditions subject to which permits may be issued under section 5 and the fees payable for such permits;

(d) The disposal of the resin, the purchase of which was refused under section 8;

(e) The manner of tapping the trees for resin under section 9;

(f) The manner of registration under section 10, the period within which such, registration shall be made, and the fees payable therefor;

[The Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976] [Section 20-21]

(g) Specifications of resin for purposes of determination of quality,

(h) Any other matter which is to been may be prescribed.

(3) All rules made under this Chapter shall as soon as may be after they are made be laid before each house of the state Legislature, while it is in session, for a total period of not less than thirty days, comprised in its one session or two or more, successive session, and shall, unless some later date is appointed take effect from the date of their publication in the Gazette, subject, such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may during the said period agree to make, so however that any such modification or annulment shall be with our prejudice to the validity of anything previously done thereunder.

(4) Notwithstanding anything in sub-section (3), any rules made within one year from the commencement of this Act may be made retrospectively to a date not earlier than such commencement.

Transitory 20- Where at any time before the appointed day, any person had entered into any provision contract for the dale of resin expected to be tapped by him to any trader and obtained an advance from such trader towards the price of the resin expected to be delivered to the trader under such contract, then notwithstanding that by virtue of the provisions of section 4 and 17, such contract shall have be come void on the appointed day, the said person and trader may make a joint application before the Divisional forest officer or an officer authorized by him in that behalf giving particulars of such advance and thereupon the said officer, on being duly satisfied that the application has been voluntarily made by the said person, may direct the

officer to pay on behalf of the said person to such trader a sum equivalent to the said advance less the amount already repaid by the said person to such trader) without any interest or compensation, out of the price due to the said person for resin sold under section 8 and the liability of the State Government of the said person and of the said person to the trader shall to the extent of such payment stand discharged and the said person shall not be liable to pay any interest or compensation in respect of such advance.

CHAPTER III

Regulation of manufactures and preparation of articles based on forest produce

Amendment of 21- After Chapter VIII of the Indian Forest Act, 1927, as amended in its Act XVI of application to Uttar Pradesh, the following Chapter shall be inserted, namely:- 1927

“CHAPTER VIII-A”

Regulation of manufacture and preparation of articles based on forest produce

Power to regulate manufacture, etc. of Articles based on forest produce	21-A	The State Government may make rules----- (a) To provide for the establishment and regulation by licences, permits or otherwise (and the payment of fees therefor) of saw mills and units including factories engaged in the manufacture or preparation of-----
---	------	---

[The Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Act, 1976] [Section 22]

(i) Katha out of Khair tree;

(ii) Resin, turpentine and other products out of resin;

(iii) Plywood and match out of timber;

(iv) Such other preparations based on forest produce as the State Government may,

(b) to provide for the regulation by licences, permits or otherwise of the supply of raw materials relation to the preparations mentioned in clause (a), the payment of fees therefor, the deposit of such sum for due performance of the conditions of any such license, permit or other document, the forfeiture of the sum so deposited or any part thereof for contravention of any such conditions, and the adjudication of such forfeiture by such authority as may by notification in the official Gazette be specified by the State Government.”

Repeal and 22- (1) The Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) savings Ordinance, 1976, is hereby repealed.

U.P. Ordinance
No. 10 of 1976

(2) Notwithstanding such repeal or the repeal of the Uttar Pradesh Resin and Other Forest Produce (Regulation of Trade) Ordinance, 1975, by the said Ordinance of 1976, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under this Act, as if this Act was in force at all material times.

उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1976}

THE UTTAR PRADESH RESIN AND OTHER FOREST PRODUCE

(REGULATION OF TRADE) ACT, 1976**[U. P. ACT NO. XIII OF 1976]**उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976¹

{उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13, 1976}

{उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 मार्च, 1976 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 6 अप्रैल, 1976 की बैठक में स्वीकृत किया।

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 16 अप्रैल, 1976 को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 19 अप्रैल, 1976 को प्रकाशित हुआ।]

जन-साधारण के हित में लीसा के क्रय और वितरण का राज्य के द्वारा, दूसरों का अपवर्जन करके, व्यापार चलाये जाने और वन उपज पर अवधारित विभिन्न वस्तुओं के निर्माण और तैयारी और उससे सम्बद्ध विषयों के लिये जन साधारण के हित में व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तासर्वे वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय — 1**प्रारम्भिक**

1— (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976 कहा जायेगा।

संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) (क) अध्याय 1 तथा 3, 4 अक्टूबर, 1975 से प्रवृत्त समझे जायेंगे।

(ख) अध्याय 2 —

(एक) अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली, गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, देहरादून, बरेली और सहारनपुर, जिलों में 4 अक्टूबर, 1975 से प्रवृत्त समझा जाएगा; और

(दो) उत्तर प्रदेश के शेष क्षेत्रों में ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा, जिसे राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा निमित्त नियत करे और ऐसे विभिन्न क्षेत्रों के सम्बन्ध में विभिन्न दिनांक नियत किये जा सकते हैं।

अध्याय — 2**लीसा के व्यापार का विनियमन**

2— जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्याय में —

परिभाषा

(क) “नियत दिन” का तात्पर्य किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में उस दिन से है, जब से यह अध्यक्ष उस क्षेत्र में प्रवृत्त हो ;

(ख) “प्राधिकृत अधिकारी” का तात्पर्य राज्य सरकार के अधिकारी से है, जिसे वह अपनी ओर से लीसा के क्रय या विक्रय के लिये और धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र देने के लिये प्राधिकृत करे;

(ग) “विहित” का तात्पर्य इस अध्याय के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित से है;

1. उद्देश्यों एवं कारणों के लिए उत्तर प्रदेश सरकारी असाधारण गजट दिनांक 27 मार्च, 1976 देखिये।

{उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976}

{धारा 3—5}

(घ) “लीसा” का तात्पर्य चीड़ या कैंल के वृक्षों से छेव द्वारा निकाले गये स्त्राव से है;

(ङ) “लीसा डिपो” का तात्पर्य उस स्थान से है, जिसको इस रूप में अरण्यपाल उस डिपो के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट क्षेत्र में छेवे गये लीसा के क्रय, संग्रह या विक्रय के लिये विनिर्दिष्ट करे;

(च) “लीसा उत्पाद” का तात्पर्य लीसा के प्रसंस्करण से प्राप्त व्युत्पादन से है और उसके अन्तर्गत रोजिन, तारपीन, जमाया हुआ लीसा और सीधे लीसा से बनाये गये पेन्ट और वारनिश भी है;

(छ) “लीसा छेवक” का तात्पर्य लीसा छेवने वाले व्यक्ति से है;

(ज) “इकाई” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन गठित इकाई से है;

(झ) जो शब्द तथा पद इस अध्याय में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित हैं और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 में परिभाषित हैं, उनके वही अर्थ होंगे, जो उक्त अधिनियम में उनके लिये दिये गये हैं।

अधिनियम संख्या 16, 1927

3— राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, राज्य को उतनी इकाइयों में बांट सकती है, जितनी वह उचित समझे और जब तक कि ऐसी अधिसूचना द्वारा परिवर्तन न किया जाय, प्रत्येक वन सर्किल (जैसा वह राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश से तत्समय परिसीमित हो) एक इकाई होगी।

इकाईयों का गठन

4— नियत दिनांक को और उसके पश्चात् —

लीसा आदि के विक्रय, क्रय
और परिवहन पर निर्बन्धन

(क) कोई व्यक्ति, जब तक कि वह राज्य धारा 10 के अधीन और अनुसार रजिस्ट्रीकृत न हो, लीसा का न छेवन करेगा, न किसी लीसा उत्पाद का निर्माण करेगा और न किसी लीसा या लीसा उत्पाद का निर्यात करेगा;

(ख) कोई व्यक्ति राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को लीसा का विक्रय नहीं करेगा;

(ग) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति लीसा छेवक से लीसा क्रय नहीं करेगा;

(घ) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति लीसा का परिवहन, निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, नहीं करेगा :—

(1) जहां वह लीसा का छेवक होने के कारण उसका परिवहन जिस क्षेत्र में लीसा का छेवन किया जाय उसके लिये विनिर्दिष्ट लीसा डिपो को करे; या

(2) जहां वह राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी की ओर से परिवहन करे;

(ङ) राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न कोई व्यक्ति किसी इकाई में निर्मित लीसा उत्पाद का उस इकाई के बाहर किसी स्थान को ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जायें, जारी किये गये अनुज्ञा-पत्र के बिना परिवहन नहीं करेगा।

5— (1) धारा 4 में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार या कोई प्राधिकृत अधिकारी ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर और ऐसी रीति से जो विहित की जाय —

विक्रय, परिवहन आदि के
लिये अनुज्ञा-पत्र

(क) किसी व्यक्ति को, जिसने नियत दिन के पूर्व उस क्षेत्र में, जिसमें यह अध्याय लागू हो, लीसा क्रय किया हो, राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को ऐसे लीसा का विक्रय और परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है और राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से भिन्न किसी व्यक्ति को उसका क्रय और परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकता है; या

{उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976}

{धारा 6—7}

(ख) किसी व्यक्ति को, जिसने लीसा उत्पाद का निर्माण करने के लिये राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी से लीसा क्रय किया हो, उसके परिवहन के लिये लीसा और उत्पाद का निर्माण करने के लिये जिस लीसा का उपयोग करने में वह असमर्थ रहा हो, उसके विक्रय के लिये अनुज्ञा दे सकता है; या

(ग) किसी व्यक्ति को, जिसने उत्तर प्रदेश के बाहर लीसा क्रय किया हो, उसे राज्य के भीतर लाने की अनुज्ञा या तो लीसा उत्पाद का राज्य के भीतर निर्माण करने या उत्तर प्रदेश के बाहर अन्यत्र परिवहन के लिये दे सकता है; या

(घ) किसी व्यक्ति को, जिसने उत्तर प्रदेश के भीतर किन्तु उस क्षेत्र के बाहर जिस पर यह अध्याय लागू होता है, लीसा क्रय किया हो, उसे किसी क्षेत्र को जिस पर यह अध्याय लागू होता है, लीसा उत्पाद का निर्माण करने के लिये परिवहन करने की अनुज्ञा दे सकती है।

(2) उपधारा (1) के अधीन जिस व्यक्ति को अनुज्ञा-पत्र दिया जाय, वह विहित फीस का देनदार होगा।

6— (1) राज्य सरकार, प्रत्येक वर्ष के लिये और प्रत्येक इकाई के लिए, जिसमें लीसा का छेवन किया जाता हो, एक सलाहकार समिति गठित करेगी, जिसमें राज्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट नौ से अनधिक सदस्य होंगे :

सलाहकार समिति का गठन

परन्तु ऐसे सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य वन विभाग के और एक-तिहाई से अनधिक सदस्य लीसा छेवकों में से होंगे।

(2) प्रत्येक ऐसी इकाई की सलाहकार समिति राज्य सरकार को समय-समय पर उचित और युक्तियुक्त कीमत निर्धारित करने के लिये, जिस पर उस इकाई में विक्रय के लिये प्रस्तुत लीसा राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से क्रय किया जा सके, सलाह देगी और ऐसे अन्य विषयों पर भी सलाह देगी जो उसे राज्य सरकार द्वारा निर्दिष्ट किये जायें।

(3) समिति का कार्य विहित रीति से संचालित किया जायगा।

7— (1) राज्य सरकार, निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, कीमत निर्धारित करेगी जिस पर वर्ष पर्यन्त इकाई में उसके द्वारा या लिए लीसा क्रय किया जायगा, अर्थात् —

राज्य सरकार द्वारा कीमत
निर्धारित करना

(क) इकाई के सम्बन्ध में पिछले तीन वर्ष के दौरान इस अध्याय के अधीन लीसा के लिये निर्धारित की गई कीमत, यदि कोई हो;

(ख) इकाई में छेवे गये लीसा की किस्म;

(ग) परिवहन व्यय;

(घ) इकाई में श्रमिक के लिये प्रचलित मजदूरी की सामान्य दर;

(ङ) लीसा छेवने का व्यय ;

(च) लीसा पैक करने का व्यय, जिनके अन्तर्गत उस डिब्बा का मूल्य भी है, जिसमें लीसा दिया जाता है;

(छ) कोई अन्य तथ्य, जिसे राज्य सरकार सुसंगत समझे।

(2) इस प्रकार निर्धारित कीमत राज्य सरकार द्वारा निदेशित रीति से प्रकाशित की जायगी और जिस वर्ष के सम्बन्ध में वह हो, उसके दौरान उसमें परिवर्तन नहीं किया जायगा।

(3) इस प्रकार निर्धारित कीमत लीसा के शुद्ध भार के लिए होगी, जिसमें उस डिब्बा का भार सम्मिलित न होगा, जिसमें लीसा पैक हो।

(4) यदि धारा 6 के अधीन सलाहकार समिति गठित कर दी गई हो तो राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कीमत निर्धारित करने के पूर्व, जहां व्यवहार्य हो, उससे परामर्श करेगी।

[उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976]

[धारा 8—9]

8— (1) राज्य सरकार, लीसा डिपो पर कार्य के सामान्य समय में उसे या उसके लिये

राज्य सरकार विक्रय के

विक्रयार्थ प्रस्तुत किये गये समस्त लीसा को धारा 7 के अधीन निर्धारित कीमत पर क्रय करने के लिए

लिये प्रस्तुत समस्त लीसा

बाध्य होगी :

क्रय करेगी

परन्तु प्राधिकृत अधिकारी को ऐसे लीसा को क्रय न करने से इंकार करने का अधिकार होगा, जो उसकी राय में लीसा उत्पाद का निर्माण करने के प्रयोजनार्थ अनुपयुक्त हो।

(2) उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के लीसा क्रय करने से इंकार करने से व्यथित कोई व्यक्ति, इस प्रकार इंकार किये जाने के पन्द्रह दिन के भीतर और विहित रीति से, प्रभागीय वन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा उस निमित्त सशक्त अन्य अधिकारी को (जिसे आगे सक्षम अधिकारी कहा गया है) परिवाद कर सकता है।

(3) उपधारा (2) अधीन परिवाद प्राप्त होने पर, सक्षम अधिकारी संक्षिप्त जांच करेगा और परिवाद की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसा आदेश देगा, जो वह उचित समझे और उस दशा में, जब उसे क्रय करने से इंकार करना अनुचित प्रतीत हो तो वह प्राधिकृत अधिकारी को उसे क्रय करने का निदेश दे सकता है।

(4) यदि सक्षम प्राधिकारी को फीस लीसा को इंकार करना उचित प्रतीत हो किन्तु उसकी राय में लीसा कम कीमत पर क्रय किया जा सकता है तो वह प्राधिकृत अधिकारी को उसे उस कीमत पर, जिसे वह उचित समझे, क्रय करने का निर्देश दे सकता है।

(5) उपधारा (1) किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हो कि विक्रय के लिये प्रस्तुत किए गये लीसा का छेवन किसी ऐसी भूमि पर स्थित वृक्षों से किया गया जो राज्य सरकार में निहित थी या उसके स्वामित्व में थी या जो आरक्षित वन या संरक्षित वन या पंचायती वन के रूप में गठित थी, तो कीमत का भुगतान किये बिना और केवल ऐसे संग्रह—प्रभार का, यदि कोई हो, भुगतान करके जिसे राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी अवधारित करे, ऐसे लीसा का विनियोग किया जा सकता है।

(6) उपधारा (5) के अधीन की गई किसी कार्यवाही के सम्बन्ध में उपधारा (2) से (4) के उपबन्ध, आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(7) इस धारा के अधीन दिया गया प्रत्येक आदेश अन्तिम होगा।

9— (1) यदि राज्य सरकार या किसी प्राधिकृत अधिकारी को यह प्रतीत हो कि किसी इकाई किसी चीड़ या कैल के वृक्ष का छेवन नहीं किया जा रहा है तो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी

वृक्षों का छेवन, जिनका में छेवन न किया जा रहा

ऐसे वृक्ष के स्वामी से विनिर्दिष्ट समय के भीतर ऐसे वृक्ष से छेवन प्रारम्भ करने या करने की अपेक्षा कर सकता है।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के पश्चात् वृक्ष का स्वामी ऐसी नोटिस का अनुपालन न करे तो राज्य सरकार या प्राधिकृत अधिकारी लीसा निकालने के लिये विहित रीति से वृक्ष का छेवन करायेगा।

(3) उपधारा (2) के अधीन किसी वृक्ष से निकाला गया समस्त लीसा इस अध्याय और तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसार बेच दिया जायगा, और उसकी कीमत उसमें से छेवन व्यय काटने के पश्चात् ऐसे वृक्षों के स्वामी को दे दी जायगी।

स्पष्टीकरण — इस धारा के प्रयोजनार्थ, किसी चीड़ या कैल वृक्ष के संबंध में, पद “स्वामी” के अन्तर्गत वह व्यक्ति भी है, जिसके कब्जा, प्रबन्ध या नियंत्रण में ऐसा वृक्ष हो।

[उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976]

[धारा 10—15]

10— लीसा का प्रत्येक छेवक, लीसा उत्पाद का प्रत्येक निर्माता और लीसा या लीसा उत्पाद का प्रत्येक निर्यातकर्ता ऐसी फीस, ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति, से जो विहित की जाय, देने पर रजिस्ट्रीकरण का हकदार होगा।

लीसा छेवकों आदि का रजिस्ट्रीकरण

- 11— राज्य सरकार द्वारा क्रय किये गये लीसा का विक्रय या अन्य प्रकार से निस्तारण ऐसी शीति से किया जायगा, जैसी राज्य सरकार के सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निदेशित हो। लीसा का निस्तारण
- 12— राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अध्याय या इसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों के अधीन अपनी कोई शक्ति या कृत्य सहायक अरण्यपाल से अन्यून पद के किसी अधिकारी को प्रतिनिहित कर सकती है, जो ऐसी शर्तों या निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, जिन्हें राज्य सरकार आदेश में विनिर्दिष्ट करे, उनका प्रयोग या सम्पादन करेगा। शक्तियों का प्रतिनिधान
- 13— (1) कोई पुलिस अधिकारी, जो उप निरीक्षक के पद से नीचे का न हो, या कोई वन अधिकारी, इस अध्याय या इसके अधीन बनाये गए नियमों के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने या अपना यह समाधान करने के उद्देश्य से कि उक्त उपबन्धों का अनुपालन किया गया है :— प्रवेश करने, तलाशी लेने, अभिग्रहण करने आदि की शक्ति
- (एक) लीसा या लीसा उत्पाद के परिवहन के लिए प्रयुक्त या प्रयुक्त किए जाने के लिए अभिप्रेत किसी व्यक्ति, जलयान, गाड़ी, या पात्र को रोक सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है ;
- (दो) किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है और उसकी तलाशी ले सकता है;
- (तीन) लीसा या लीसा उत्पाद को, जिसके संबंध में उसे यह संदेह हो कि इस अध्याय या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा है या किया जाने वाला है, ऐसे पात्र सहित जिसमें ऐसा लीसा रखा या पहुंचाना हो, अभिगृहीत कर सकता है।
- (2) तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 100 के उपबन्ध जिस प्रकार लागू होते हैं, उसी प्रकार से वे, यथाशक्य, इस धारा के अधीन तलाशी लेने और अभिग्रहण करने के सम्बन्ध में लागू होंगे। अधिनियम संख्या 2,1974
- 14— यदि कोई व्यक्ति इस अध्याय या इसके अधीन बनाये गये नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन करता है तो उसके बारे में यह समझा जायगा कि उसने वन अपराध किया है और लीसा या लीसा उत्पाद को, यदि कोई हो, जिसके संबंध में ऐसा अपराध किया जाता है, ऐसा अपराध किये जाने के संबंध में वन उपज समझा जायगा और उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अध्याय 9 के उपबन्ध (उसकी धारा 69 को छोड़कर) तदनुसार आवश्यक परिष्कार सहित लागू होंगे। शास्ति अधिनियम संख्या 16,1927
- 15— (1) यदि इस अध्याय के अधीन किसी अपराध को करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो वह कम्पनी और अपराध करने के समय उस कम्पनी के कार्य संचालन का प्रभारी और उसके लिये कम्पनी के प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा : कम्पनियों द्वारा अपराध
- परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दण्ड का भागी नहीं बनायेगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने उस अपराध के किये जाने का निवारण करने के लिये सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।
- {उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976} {धारा 16—19}
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जबकि इस अध्याय के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी ने किया हो और यह साबित हो जाय, कि वह अपराध उस कम्पनी के किसी प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक या अन्य अधिकारी की सम्मति या मौनानुकूलता से किया गया या उपेक्षाजनित है तो वह प्रबन्ध अभिकर्ता, सचिव, कोषाध्यक्ष, निदेशक, प्रबन्धक, या अन्य अधिकारी भी उस अपराध के लिये अपराधी माना जायगा और तदनुसार कार्यवाही किये जाने और दण्ड दिये जाने का भागी होगा।
- स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनार्थ के लिये —
- (क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, और इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और
- (ख) “निदेशक” का, किसी फर्म के संबंध में, उस फर्म के भागीदार से है।
- 16— (1) किसी वन अधिकारी द्वारा जो रेंज अधिकारी के पद से नीचे का न हो या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस निमित्त सशक्त करे, उन तथ्यों के संबंध में जिससे कि अपराध बनता हो, दी गयी लिखित रिपोर्ट के सिवाय, कोई भी न्यायालय इस अध्याय के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा। अपराधों का संज्ञान
- 17— किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी असंगत बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबन्ध प्रभावी होंगे। अधिनियम के उपबन्धों का अधिभावी प्रभाव
- 18— (1) इस अध्याय या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में किये गये या किये जाने के लिये अभिप्रेत किसी बात के लिये किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी। सद्भावपूर्णक किए गए कार्यों के संबंध में अपवाद

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध इस अध्याय या इसके बनाये गये नियमों के उपबन्धों के आधार पर या ऐसी किसी बात से जो इस अध्याय या इसके अधीन बनाये गये नियमों के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिये अभिप्रेत हो, किसी हानि के लिये जो हुई हो या जिसके होने की संभावना हो, या किसी क्षति के लिए जो हुई हो, या जिसके होने की संभावना हो, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

19— (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है।

नियम बनाने की शक्ति

(2) विशेषतः और पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किसी विषय की व्यवस्था की जा सकती है, अर्थात् :-

(क) लीसा की कीमत सूची का प्रकाशन;

(ख) इस अध्याय के अधीन जांच करने की रीति;

(ग) प्राधिकारी जिसके द्वारा, रीति जिसके अनुसार और शर्तें, जिन पर धारा 5 के अधीन अनुज्ञा-पत्र जारी किया जा सकता है और ऐसे अनुज्ञा-पत्रों के लिये देय फीस;

(घ) धारा 8 के अधीन जिस लीसा को क्रय करने से इंकार किया गया हो, उसका निस्तारण;

(ङ) धारा 9 के अधीन वृक्षों से लीसा के छेवन की रीति;

(च) धारा 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण की रीति; अवधि जिसके भीतर ऐसा रजिस्ट्रीकरण किया जायगा और उसके लिये देय फीस;

[उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976]

[धारा 20-21]

(छ) किस्म का अवधारण करने के प्रयोजनों के लिये लीसा की विषष्टियां ;

(ज) कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाना हो, या किया जाय।

(3) इस अध्याय के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब कि उसका सत्र हो रहा हो, कम से कम कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो उसके एक सत्र या दो या इससे अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकती है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई बाद या दिनांक नियत न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियम के अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।

(4) उपधारा (3) में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर बनाया गया कोई नियम ऐसे भूतलक्षी दिनांक से बनाया जा सकता है, जो ऐसे प्रारम्भ के पूर्व न हो।

20— जहां नियत दिनांक से पहले किसी समय किसी व्यक्ति ने अपने द्वारा छेवे जाने की प्रत्याशा में किसी व्यापारी को लीसा के विक्रय के लिये कोई संविदा कर ली थी और उस संविदा के अधीन व्यापारी को दिये जाने के लिये प्रत्याशित लीसा की कीमत का कोई अग्रिम उस व्यापारी से प्राप्त कर लिया था तो इस बात के होते हुए भी, कि धारा 4 और 17 के उपबन्धों के कारण वह संविदा नियत दिन पर शून्य हो जायगी, उक्त व्यक्ति और व्यापारी ऐसे अग्रिम का ब्योरा देते हुए एक संयुक्त आवेदन-पत्र प्रभागीय वन अधिकारी या उनके द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को दे सकेंगे और तदुपरान्त उक्त अधिकारी इस बात का यथाविधि समाधान जाने पर कि उक्त व्यक्ति ने आवेदन-पत्र स्वेच्छया दिया है। अधिकारी को यह निर्देश दे सकते हैं कि उक्त व्यक्ति की ओर से उस व्यापारी को उक्त अग्रिम के बराबर धन (उक्त व्यक्ति के द्वारा उस व्यापारी को पहले ही भुगतान की गई धनराशि को कम करके) किसी ब्याज या प्रतिकर के बिना धारा 8 के अधीन विक्रय किए गए लीसा के लिये उक्त व्यक्ति को देय कीमत में से दिया जाय और ऐसे भुगतान की सीमा तक राज्य सरकार का उस व्यक्ति के प्रति और उक्त व्यक्ति का व्यापारी के प्रति दायित्व उन्मुक्त हो जायगा और उक्त व्यक्ति का कोई दायित्व उस अग्रिम के संबंध में कोई ब्याज या प्रतिकर देने के लिये नहीं होगा।

संक्रमणकालीन उपबन्ध

अध्याय— 3

वन उपज पर आधारित वस्तुओं के निर्माण और तैयारी का विनियमन

21— उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अध्याय 8 के पश्चात् निम्नलिखित अध्याय बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् —

अधिनियम संख्या 16,
1927 का संशोधन

“अध्याय — 8—क

वन उपज पर आधारित वस्तुओं के निर्माण और तैयारी का विनियमन

51—क— राज्य सरकार —

(क) जो आरामिल और इकाइयां (जिनमें कारखाने भी हैं) ;

वन वस्तुओं के विनियमन की शक्ति	उपज के	पर निर्माण	आधारित आदि
{उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1976}			{धारा 22}
(एक) खैर वृक्ष से कत्था ;			
(दो) रोजिन, तारपीन और लीसा के अन्य उत्पाद;			
(तीन) इमारती लकड़ी से प्लाईवुड और दियासलाई ;			
(चार) वन उपज पर आधारित ऐसी अन्य निर्मितियां जिन्हें राज्य सरकार, शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे;			
के निर्माण या तैयारी में संलग्न है, उनकी स्थापना और अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा के द्वारा या अन्यथा (और उनके लिये फीस के भुगतान) विनियमन के लिये उपबन्ध,			
(ख) खंड (क) में उल्लिखित निर्मितियों से संबंधित कच्चे माल की आपूर्ति के अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा के द्वारा या अन्यथा विनियमन, उसके लिये फीस के भुगतान, ऐसे किसी अनुज्ञप्ति, अनुज्ञा-पत्र या अन्य दस्तावेज की शर्तों के यथाविधि पालन के लिये ऐसी धनराशि जमा करने, इस प्रकार जमा की गई धनराशि या उसके किसी भाग का ऐसी किसी शर्त के उल्लंघन के लिये समपहरण और ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में विनिर्दिष्ट करे, ऐसे समपहरण के न्याय निर्णयन के लिए उपबन्ध,			
बनाने के लिये नियम बना सकती है।”			
22— (1) उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1976 एतद्वारा निरसित किया जाता है।			निरसन और अपवाद
(2) ऐसे निरसन और 1976 के उक्त अध्यादेश द्वारा उत्तर प्रदेश लीसा तथा अन्य वन उपज (व्यापार विनियमन) अध्यादेश, 1975 के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेशों के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गई कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।			उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 10, 1976 उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 30, 1975